

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी: एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 124 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/144)

पंजीयन दिनांक– 25.02.2021

निर्णय दिनांक– 21.09.2021

1. श्री शांतिलाल पिता मांगीलाल जटिया, निवासी कारुण्डा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री प्रहलाद पिता मांगीलाल जटिया, निवासी कारुण्डा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती प्यारी बेवा मांगीलाल जटिया, निवासी कारुण्डा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री बद्रीलाल पिता लालुराम जटिया, निवासी कारुण्डा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलांट्स

**बनाम**

1. श्री किशनलाल पिता नंदा जटिया, निवासी कारुण्डा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (ईकाई—आदित्य सीमेंट वर्क्स) सावा—शंभुपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ अधिकृत पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर रमेशचन्द्र त्रिपाठी पिता रामअवध त्रिपाठी, उप महाप्रबंधक भूमि अर्जन, निवासी आदित्यपुरम सावा—शंभुपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

—रेस्पोंडेंट्स

उपस्थिति:—

1. श्री पी. सी. पीलवाल —अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री शाहनवाज खान —अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा—75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

विरुद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या

63 / 2017 निर्णय दिनांक 08.05.2018

## निर्णय

दिनांक 21.09.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 63/2017 निर्णय दिनांक 08.05.2018 के विरुद्ध दिनांक 09.07.2018 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 (1) के साथ पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 15.01.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा किशनलाल, हजारीलाल, रतनलाल जटिया निवासी कारुण्डा तहसील, निम्बाहेडा के विरुद्ध आराजी नम्बर 1161/364 रकबा 0.14 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 364 रकबा 0.14 हैक्टेयर अपीलांट की पैतृक होने से अपीलांट के हक में प्राप्त हुई होकर अपीलांट ही काबिज है, बाबत खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पोंडेंट संख्या 1 एवं अन्य प्रतिवादीगण ने यह स्वीकार किया कि भूमि वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक है एवं अपीलांट का ही कब्जा होना भी स्वीकार किया है फिर भी अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की नियत से रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने इन सभी तथ्यों को छिपाकर अपने नाम पर दर्ज होने का फायदा लेकर रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में सहमति का जवाब दिया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 63/2017 निर्णय दिनांक 08.05.2018

से मुआवजा राशि तय किये जाने का निर्णय पारित किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोंडेंट संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित तथा रेस्पोंडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शाहनवाज खान उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 03.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा रेस्पोंडेंट के विरुद्ध स्थायी आदेश भी प्रदान किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर मुआवजा तय करवाया गया जो पूर्णतया अवैध है। रेस्पोंडेंट स्वीकार कर चुका है कि भूमि अपीलांट की है, अपीलांट ही काबिज है, तत्पश्चात अपीलांट को धोखा देने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के यहां सही तथ्य पेश नहीं कर निर्णय पारित करवाया गया, अवैध है। कमिश्नर रिपोर्ट भी गलत बनी है एवं मुआवजा भी मनगढ़ंत तय किया जबकि वर्तमान बाजार दर से चार गुणा तय किया जाना चाहिए था। धारा 89 (4) के तहत माइनिंग लीज होने से अवाप्त की जो पूर्णतया अवैध है। भूमि मात्र भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में ही उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत ही अवाप्त की जा सकती है, जिसमें जिला कलक्टर धारा 31 के तहत प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्व्यवस्थापन हेतु भी निर्णय पारित किया जाना चाहिए जो पारित नहीं किया गया जिससे भी निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। भूमि अपीलांट की पैतृक होने एवं काबिज होने से अपीलांट को सूचना दिया जाना अवश्यक था। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है, अपीलांट के हितों के

विरुद्ध निर्णय पारित किया है जिससे अपीलांत प्रभावित पक्षकार होने से धारा 96 (1) जाप्ता दीवानी के आवेदन के साथ अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2/प्रार्थी कम्पनी ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोंडेंट संख्या 2/प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट प्लांट लगाने की अनुमति एवं राजस्थान सरकार के खान विभाग द्वारा प्रधान खनिज रियायत नियमावली 1960 के नियम 22 (1) के अंतर्गत कच्चे माल, लाईमस्टोन की आपूर्ति हेतु खनन कार्य हेतु भूमि आवंटित कर रेस्पोंडेंट संख्या 2/प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में लीज डीड निष्पादित की हुई है जिससे रेस्पोंडेंट संख्या 2/प्रार्थी कम्पनी माईनिंग लीज क्षेत्र में अपाप्त की गई व अन्य खातेदारों से प्राप्त भूमि पर खनन कार्य कर रही है एवं करेगी। रेस्पोंडेंट संख्या 2/प्रार्थी कम्पनी की माईनिंग लीज क्षेत्र में उक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि की रेस्पोंडेंट संख्या 2/प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग प्रयोजनार्थ आवश्यकता होने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के यहां राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.05.2018 उचित एवं नियमानुसार है। अतः अपील अपीलांत खारिज किये जाने बाबत निवेदन है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं है परन्तु उसके द्वारा अपील प्रस्तुत करते हुए धारा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया है तथा उसमें यह वर्णित किया गया है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था जबकि वास्तविकता स्वामित्व एवं कब्जा अपीलाण्ट का है, मुआवजा का हकदार अपीलाण्ट है तथा अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार है। प्रकरण में अपीलाण्ट आवेदक द्वारा इस प्रकार का कोई तथ्य, कथन, साक्ष्य

प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे उसे विवादित भूमि का स्वामित्वधारी, कब्जेधारी अथवा हितबद्ध होना प्रमाणित होता हो। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में धारा 88 का एक वाद की फोटोप्रति पेश की है जो बिना आदेश 41 नियम 27 जा.दी के आवेदन के प्रस्तुत की है, जिसे साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता एवं उक्त आवेदन पर दिनांक 18.09.2017 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है परन्तु उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक तक प्रचलित रही हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तदनुसार हम अपीलान्ट को इस प्रकरण में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं पाते। इस न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलान्ट को इस प्रकरण में रेकर्ड खतेदार की तुलना में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार माना जा सकें, तदनुसार अपीलान्ट का दफा 96 जा.दी. का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)  
अति.संभागीय आयुक्त  
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)  
अति.संभागीय आयुक्त  
उदयपुर